न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री शंकरलाल सालवी ,आर.ए.एस.

———

प्रकरण संख्या 59/2019 वाद निर्णय दिनांक 18.10.2019

अनवान

1. अर्जूनलाल पिता शंकरलाल भांबी वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
2. दुर्गा देवी पत्नि अर्जनलाल भांबी वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि वादीगण को ग्राम गाडरियावास प0ह0 कुंथना तहसील भदेसर में अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) प्रभारी अधिकारी तहसील भदेसर केम्प कूथनां द्वारा मिसल नम्बर 61/08 दिनांक 21.02.2008 को आराजी नम्बर 8 मीन रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से आ0न0 8/10 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित हुई जिसका नामान्तरण सं. 617 दिनांक 25.07.2008 दर्ज किया गया व दिनांक 12.01.2013 को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज की गई जिसका नामान्तरण सं. 764 दिनांक 12.01.2013

Scanned by CamScanner

को निर्णित कर खातेदारी में दर्ज की गई। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी एवं शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में आवंटन कमेटी द्वारा मिसल नम्बर 3/2013 दिनांक 12.01.2013 को ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का कुंथना तहसीलदार भदेसर में आराजी नम्बर 8 मीन रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन वादीगण के नाम किया गया जिसका नामान्तरण सं. 783 दिनांक 21.05.2013 को दर्ज किया गया। आवंटन कमेटी द्वारा मौके पर प्रार्थीगण/वादीगण को कब्जा सिपूर्द किया गया। आवेटन दिनांक से ही वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी साबिक एवं मिलान शीट एवं आवंटन आदेश की फोटो प्रति व नकल नामान्तरण सं. 617, 764 एवं 783 संलग्न वाद पत्र है।

2. यह कि मौजा गाडरियावास पटवार हल्का कुंथना तहसील भदेसर का वर्ष 2010–2011 में भू प्रबंध अधिकारीयों द्वारा भू प्रबंध किया गया। भू प्रबंध के दरम्यिान वादीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त आराजीयात की किस्म परिवर्तन करते हुए राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई है जबकि वादीगण अपनी सम्पूर्ण रकबे पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है जिससे वादीगण की ओर से यह वादपत्र घोषणात्मक डिक्री हेतु पेश है ।
3. यह कि वादीगण ने विवादित आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी और वादीगण आज भी आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहें है लेकिन भू प्रबन्ध अधिकारीयों की लापरवाही से उक्त खातेदारी आराजीयात को राजकीय भूमि दर्ज कर दी है इसलिए उक्त आराजीयात को पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने हेतु वाद पत्र पेश है ।
4. यह कि उक्त वादीगण की आराजीयात को सेटलमेन्ट के दौरान विवादित आराजीयात वादीगण के खाते में दर्ज रेकार्ड थी एवं उसी अनुसार वादीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें फिर भी भू प्रबन्ध अधिकारीयों ने वादीगण की आवंटन शुदा खातेदारी की आराजीयात को राजकीय भूमि दर्ज कर दी है इसकी आड में प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व

Scanned by CamScanner

विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाने हेतु यह वाद पत्र पेश किया है ।

5. यह कि उपरोक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअनजी न तो स्वंय करें ना किसी अन्य हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है ।
6. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पुर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे हे एवं किसी को आंटित नही कर दे ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिये धारा 80(2) जा.दी. का आवेदन मय शपथ पत्र के पैश है।
7. यह कि बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 06.02.2019 को प्रतिवादीगण के मातहत कर्मचारियों ने मौके पर आकर वादीगण को विवादित आराजीयात का कब्जा छोडने व कब्जा नहीं छोडने पर कार्यवाही की धमकी देने से पैदा होकर निरन्तर जारी है जिससे वाद पत्र वादी अन्दर मियाद पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

विपक्षीगण की ओर पैरोकार सरकार तहसीलदार द्वारा द्वारा मौका एवं साबिक व वर्तमान राजस्व रेकार्ड के आधार पर जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि –

1– वादीगण के ग्राम गाडरीयावास में जमाबन्दी संवत् 2065 –2068 के खाता नम्बर 01 पर आवंटन से नामान्तरण्करण संख्या 617 दिनांक 25.07.2008 से आराजी नम्बर 8 मी रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा के नये खाता नम्बर 8/10 मी का दाखला लगा हुआ है तथा ना0क0 संख्या 783 दिनांक 21.05.2013

Scanned by CamScanner

से वादी के नाम आवंटन द्वारा 8 मी से 3 बीघा का दाखला लगा हुआ है जों संलग्न दस्तावेज अनुसार सही है । बढते नम्बर ना0क0 पर चस्पा ट्रेस अनुसार 8/12 रकबा 3 बीघा दर्शाया गया है ।

2– यह कि वादी के साबिक आराजी नम्बर 8/12 रकबा 3 बीघा एवं 8/10 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नवीन रेकार्ड मे तैयारी में गैर खातेदारी तथा खातेदार हक को समापन कर बिलानाम एवं चरागाह भूमि दर्ज कर दी गई मिलान क्षेत्रल अनुसार 8 मी के फरदन फरदन आराजी नम्बर 93 रकबा 1.22 हैक्टेयर , आ0न0 97 रकबा 1.85 हैक्टेयर , आ0न0 99 रकबा 0.40 हैक्टेयर , आ0न0 101 रकबा 6.51 हैक्टेयर , आ0न0 102 रकबा 1.34 हैक्टेयर , आ0न0 103 रकबा 1.04 हैक्टैयर , आ0न0 107 रकबा 0.40 हैक्टैयर , आ0न0 108 रकबा 2.21 हैक्टैयर , आ0न0 109 रकबा 1.07 हैक्टेयर , आ0न0 104 रकबा 0.11 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर बनाये गये है प्रार्थीगण का मौके पर आवंटन से ही कब्जा आवंटित भूमि पर काबिज है जो आराजी नम्बर साबिक 8/10 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के नवीन हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 104 रकबा 0.11 हैक्टैयर बिलानाम एवं आ0न0 103 रकबा 1.04 हैक्टैयर चारागाह मे में से 0.21 हैक्टैयर पर कब्जो मौके पर किया हुआ है एवं आराजी नम्बर 8/12 रकबा 3 बीघा के वर्तमान काबिज 103 रकबा 0.83 है0 चारागाह दर्ज रेकार्ड है ।

वदीगण के नाम जो आवंटन भूमि की गई जिसको सेटलमेन्ट द्वारा खाते से नाम हटा दिया गया है पुनः उनके नाम पर किया जाना निम्नानुसार उचित है ।

क्र.स.	साबिक नम्बर			सेटलमेन्ट से नवीन नम्बर		
	आ0न0	रकबा (बीघा में)	किस्म	आ0न0	रकबा (हैक्टैयर में)	किस्म
1	8/10	1–10	भटवेड	104	0.11	बिलानाम
				103	0.21	चारागाह
2	8/12	3–00	भटवेड	103	0.65	चारागाह

Scanned by CamScanner

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया । तहसीलदार भदेसर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रमाणित होता है कि वादीगण के खातेदारी में दर्ज भूमि का भूप्रबन्धीक कार्यवाही में अकारण ही विलोपन किया जाकर बिलानाम एवं चारागाह दर्ज कर दी गई है जबकि वादीगण का साबिक रेकार्ड अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है जिसके साबिक नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल से नवीन बनने वाले नम्बरान का भी मिलान होता है । आलौच्य आवंटन को खारीज कराया जाने की कार्यवाही भी नहीं की गई है तो आंवटन यथावत होकर काल्पनिक रूप से राजस्व रेकार्ड में भूमि की किस्म निराधार रूप से परिवर्तित हुई है जिसका कोई सकारात्मक आधार नहीं है न ही राज्य सरकार का कोई आदेश चस्पा होते है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

उपरोक्त विवेचन एवं हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी में दर्ज मौजा गाडरीयावास की साबिक आराजी नम्बर 8/10 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 8/12 रकबा 03 बीघा भूमि भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर जो वादीगण के कब्जे काश्त के है आराजी नम्बर 104 रकबा 0.11 हैक्टैयर (बिलानाम), आराजी नम्बर 103 रकबा 1.04 हैक्टैयर (चारागाह) में से 0.86 हैक्टैयर वादीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास– श्री शंकरलाल सालवी, आर0ए0एस0,

उनवान

1. अर्जूनलाल पिता शंकरलाल भांबी वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
2. दुर्गा देवी पत्नि अर्जनलाल भांबी वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0 का0 अधि0 1955
प्रकरण संख्या 59/2019

वादीगण की और से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 18–10–2019 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी में दर्ज मौजा गाडरीयावास की साबिक आराजी नम्बर 8/10 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 8/12 रकबा 03 बीघा भूमि भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर जो वादीगण के कब्जे काश्त के है आराजी नम्बर 104 रकबा 0.11 हैक्टैयर (बिलानाम), आराजी नम्बर 103 रकबा 1.04 हैक्टैयर (चारागाह) में से 0.86 हैक्टैयर वादीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 18.10.2019 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner